पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

<u>विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>दिनांक 09-10-2020</u>

दिनांक 08/09-10-2020 को रात्रि थाना गोमतीनगर विस्तार 03, बंथरा 01, गौतमपल्ली 01, अभियुक्त गिरफ्तार। **<u>इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>**

<u>डी0सी0पी0 प८िचमी।</u>

<u>सट्टा खेलते समय गिरफ्तार</u>

<u>थाना नाका:-</u>दिनांक 08-10-2020 को एस0आई0 श्री रमेश चन्द्र वरूण थाना नाका लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-आनन्दे८वर अग्रहरी पुत्र स्व0 राज कुमार अग्रहरी निवासी 1553 रोशन नगर, असियामऊ थाना ठाकुरगंज लखनऊ को सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते/खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान राजेन्द्र नगर पानी की टंकी के पास नाका से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्ची व 3400/-बरामद कर थाना नाका पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>डी0सी0पी0 उत्तरी।</u>

<u>अवैध कच्ची शराब व ७राब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार।</u>

<u>थाना आ८ियाना:-</u>दिनांक 09-10-2020 को एस0आई0 श्री शदरूद्दीन खान थाना आशियाना लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-राकेश उर्फ राका पुत्र आयोध्या प्रसाद निवासी उसरी, बंगला बाजार थाना आशियाना लखनऊ को शुलभ ७ौचालय ग्राम उसरी बंगला बाजार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची ७राब व ७राब बनाने के उपकरण बरामद कर थाना आ८ियाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>डी0सी0पी0 पूर्वी।</u>

<u>अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>चिनहट:-</u>दिनांक 09-10-2020 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि दिनांक 22-08-2020 को वादिनी उम्र करीब 17 वर्१ निवासी चिनहट थाना चिनहट लखनऊ द्वारा थाना चिनहट पर धारा 452/323/504/506/354क भादवि व धारा 07/08 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1-बृजमोहन के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रियम्बद्व मिश्रा थाना चिनहट लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 09-10-2020 को** एस0आई0 श्री प्रियम्बद्व मिश्रा थाना चिनहट लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1-बृजमोहन उर्फ मोहन पुत्र बृजलाल निवासी ग्लोबल स्कूल के पास थाना चिनहट लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर देवा रोड़ थाना क्षेत्र चिनहट से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना चिनहट पर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>भा0द0वि0</u>

MEDIA

<u>चिनहटः</u>–दिनांक 09–10–2020 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री ओमेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी सुनौरा मुरारपुर थाना भूता जनपद बरेली ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 08–10–2020 को वादी का भाई सत्येन्द्र सिंह गांव से अपनी ससुराल जनपद गोरखपुर जा रहा था, कि थाना चिनहट के अन्तर्गत ग्राम अनौरा के पास फैजाबाद लखनऊ रोड़ पर गोयल कालेज ओवरब्रिज के पास सड़क पर किसी अज्ञात वाहन द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के भाई को टक्कर मार दिया, जिससे वादी के भाई सत्येन्द्र सिंह उम्र करीब 40 वर्ा की मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 662/2020 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुरेन्द्र सिंह मो0नं0 8299412798 द्वारा की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक खेती करता था। मृतक के एक पुत्र व एक पुत्री है।

<u>थाना बंथरा</u>:–दिनांक 09–10–2020 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया वादिनी श्रीमती माया पत्नी वीरेन्द्र कुमार ग्राम हुल्लीखेड़ा पिपरसन्ड थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ ने थाना बंथरा पर सूचना दिया कि दिनांक 08–10–2020 को वादिनी के पति वीरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम उम्र करीब 37 वर्ष जो मो0सा0 नं0 यूपी 32 एफजे 6277 से अपने ही गावं के निवासी राम भरोसे पुत्र झीगुरी को मोटर साइकिल के पीछे बैठालकर ग्राम हुल्लीखेडा से फतहेगंज–नारायनपुर मार्ग होते हुए ग्राम तिरवा थाना बंथरा लखनऊ जा रहे थे कि तभी समय करीब 3.00 बजे दिन मे मवई चौराहे के पास बंथरा में सामने से चली आ रहे ट्रक नं0 यूपी 33 बीटी 0392 के अज्ञात नामपता अज्ञात द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादिनी के पति की उक्त मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे वादिनी के पति वीरेन्द्र व मोटर साइकिल पर पीछे बैठे रामभरोसे गम्भीर रूप से घायल हो गये, और मोटर साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी।, जिनको इलाज हेतु सीएचसी सरोजनीनगर ले जाया गया जहॉं डाक्टरों ने प्राथमिक जांच मे वादिनी के पति वीरेन्द्र कुमार को मृत घोषित कर दिया तथा रामभरोसे प्राथमिक इलाज के बाद स्वस्थ है। इस सूचना पर थाना बंथरा पर मु0अ0सं0 385/2020 धारा 279/338/427/304–ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री बद्रीराम मो0नं0 9140156524 द्वारा की जा रही है।**

MEDIA

MEDIA